BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Execution Application No. 13/2024
In
Original Application No. 598/2019

In The Matter Of:

Sariq Abbas Zaidi & Anr. ...Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. ...Respondent(s)

INDEX

S. No.	Particulars	Page Nos.
1.	Compliance Report filed on behalf of the Respondent i.e., Ghaziabad Nagar Nigam in terms of Order dated 13.03.2024 in the captioned matter.	1 - 9

FILED BY:

MALAK BHATT
ADVOCATE FOR RESPONDENT NO.4
C-7, NIZAMUDDIN EAST, GROUND FLOOR,
NEW DELHI 110013
EMAIL: malak@malakbhatt.com
MOB: +91 9650592002

DATE: 15.05.2024
NEW DELHI

प्रभारी पार्किंग महोदय

कृपया पत्रावली में दाहिने तरफ संलग्न नगर आयुक्त महोदय के कार्यालय पत्रांक:-49/न0आ0/2023-24 दिनांक 20.03.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04.03.2020 को निर्णीत डिस्पोज-ऑफ ओ.ए. संख्या-598/2019 शारिक़ अब्बास जैदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में वाद का सम्बन्ध कौशाम्बी क्षेत्र में ग्रीन बैल्ट पर अवैध रूप से संचालित पार्किंग,अतिक्रमण तथा कौशाम्बी मैट्रो स्टेशन के पिलर संख्या-199 व 200 व पिलर संख्या-174 से 175 पर कूड़ा डाले जाने के सम्बन्ध में योजित की गयी थी, के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2024 के अनुपालन में अग्रिम नियत दिनांक 20.05.2024 से पूर्व माननीय अधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या दाखिल की जानी है, के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2024 के अनुपालन में कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत ग्रीन बेल्ट पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कोई पार्किंग ठेका स्वीकृत/अधिकृत नही है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग ठेकों की सूची संलग्न कर प्रश्नगत क्षेत्र में अवैध पार्किंग स्थलों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस विभाग, गाजियाबाद को इस कार्यालय के पत्र संख्या-903/1/पार्किंग/2019-20 दिनांक 11.02.2020 एवं पत्र संख्या-1527/पार्किंग/2019-20 दिनांक 25.07.2019 व पत्र संख्या-172/1/पार्किंग/2018-19 दिनांक 12.03.2019 एवं पुलिस उपायुक्त, शहरी क्षेत्र, गाजियाबाद को पत्रांक:-28/पार्किंग/2024-25 दिनांक 08.05.2024 के द्वारा पत्र प्रेषित किये गये है। कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ग्रीन बेल्ट पर कोई ठेका स्वीकृत/अधिकृत नही है। आख्या सादर सेवा में प्रस्तुत है।

13/5/2024

13.5.24

प्रभारी पार्किंग
नगर निगम गाजियाबाद

गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।

पत्रांकः- 28 /पार्किंग/2024-25 दिनांकः- 08/05/24

सेवा में,

पुलिस उपायुक्त,
शहरी क्षेत्र,
गाजियाबाद।

विषयः मानानीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-598/2019 शारिक अब्बास जैदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व कौशाम्बी क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट पर अवैध रूप से संचालित पार्किंग को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2024 के अनुपालन में कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत ग्रीन बेल्ट पर नगर निगम गाजियाबाद द्वारा कोई पार्किंग ठेका स्वीकृत/अधिकृत नही है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या-903/1/पार्किंग/2019-20 दिनांक 11.02.2020, पत्र संख्या-1527/पार्किंग/2019-20 दिनांक 25.07.2019 व पत्र संख्या-172/1/पार्किंग/2018-19 दिनांक 12.03.2019 के द्वारा अवैध पार्किंग स्थलों को बन्द कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये गये है। कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत गाजियाबाद नगर निगम द्वारा ग्रीन बेल्ट पर कोई ठेका स्वीकृत/अधिकृत नही है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा संचालित पार्किंग ठेकों की सूची पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्षों को निर्देशित करने की कृपा करें, कि कौशाम्बी क्षेत्रान्तर्गत ग्रीन बेल्ट पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित पाये जाने पर अवैध वसूली करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाये, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों की अवहेलना/अवमानना न होने पाये।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

पार्किंग प्रभारी,
गाजियाबाद नगर निगम।

प्रतिलिपिः-

1. *पुलिस आयुक्त महोदय, गाजियाबाद की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।*
2. *नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।*
3. *अपर नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।*
4. *थानाध्यक्ष-थाना कौशाम्बी गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।*
5. *जोनल प्रभारी, वसुन्धरा जोन, गाजियाबाद नगर निगम को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।*

पार्किंग प्रभारी,
गाजियाबाद नगर निगम।

प्रभारी पार्किंग
नगर निगम गाजियाबाद

UP Date 3
7/5/24

क्रम संख्या	पार्किंग स्थल का नाम
1	आपुलेन्ट मॉल के बाहर
2	श्रीकृष्ण वाटिका सैक्टर-4 वैशाली
3	मोहन नगर स्थित मीटा कम्पनी से वर्ल्ड स्कवायर मॉल तक
4	नेहरूनगर स्थित यशोदा अस्पताल के बाहर
5	पुरानी सब्जी मण्डी
6	मदर डेयरी तहसील कम्पाऊन्ड
7	गोविन्दपुरम स्थित सिग्नेचर स्ट्रीट
8	गौर मॉल के बराबर से एप्पल ट्री को जोन वाली सडक के किनारें खाली पटरी पर मोनू टी स्टाल से गौर मॉल परिसर की पिछली दीवार तक
9	गौर मॉल के गेट के सामने
10	वैशाली आर.के टॉवर
11	सरस्वती शिशु मन्दिर क्रीडा स्थल
12	श्री राम पिस्टन रिंगस लि0 मेरठ रोड
13	एलिन इलैक्ट्रोनिक्स लि0 कविनगर
14	मोहन नगर सरदार पटेल संस्थान के बराबर में (सडक के दोनों तरफ)
15	शिवा टॉवर के बाहर
16	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क के बाहर
17	नवयुग मार्किट स्थित पंजाब नैशनल बैंक व इलाहाबाद बैंक के बाहर
18	आर.टी.ओ. कार्यालय के बाहर
19	मुख्य कार्यालय नवयुग मार्किट स्थित पोस्ट आफिस से स्टेट बैंक तक
20	ठाकुरद्वारा फ्लाई ओवर के नीच स्थित पार्किंग स्थल
21	चमडा पैंठ पार्किंग
22	मैक्स अस्पताल के पीछे की ओर साईड पटरी के किनारे, सै0-1 वैशाली स्थित पार्किंग स्थल
23	कविनगर जोन औद्योगिक क्षेत्र
24	सिटी जोन औद्योगिक क्षेत्र
25	विजयनगर जोन औद्योगिक क्षेत्र
26	वसुन्धरा जोन औद्यागिक क्षेत्र

गाजियाबाद नगर निगम

पत्रांकः– १०३।। /पार्किंग/2019–20 दिनांक

सेवा में

पुलिस अधीक्षक (यातायात),
गाजियाबाद।

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ०ए० संख्या-84/2018 शारिक अब्बास जैदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु हरित पटटी व सडक-पटरियों पर अवैध रूप से संचालित पार्किंग-स्थलों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक माननीय अधिकरण द्वारा कौशाम्बी क्षेत्र स्थित रेडिसन होटल के बाहर पार्किंग स्थल, एन्जिल मॉल के बाहर पार्किंग स्थल, डाबर पार्किंग स्थल व यशोदा अस्पताल की पार्किंग स्थलों को यशोदा अस्पताल सहित अन्य क्षेत्रों में हरित पट्टी/सडक पटरी पर अवैध रूप से संचालित पार्किंग-स्थलों को बन्द कराने के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 11.12.2019 को आदेश पारित किये गये आदेशों के अनुपालन में उपरोक्त चारों स्थलों से अवैध पार्किंग हटाने हेतु पत्र संख्या-468/सम्पत्ति/2018-19 दिनांक 01.04.2019 व पत्रांकः-616/पार्किंग/2019-20 दिनांक 27.04.2019 के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को पत्र प्रेषित करते हुये उक्त स्थलों सहित अन्य स्थलों पर अवैध रूप से संचालित होने वाले पार्किंग-स्थलों को बन्द कराने का अनुरोध किया गया था। "मान0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण (एन.जी.टी.) के आदेशों के क्रम में यहां पर पार्किंग प्रतिबन्धित है" का बोर्ड लगा दिया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्षों को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि उक्त पार्किंग स्थलों पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित पाये जा... पर अवैध वसूली करने वाले व्यक्तिं के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्यवाही अमल लायी जाये, जिससे माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों अवहेलना/अवमानना न होने पाये।

भवदीय

(डा0 संजीव सिन्हा)
पार्किंग प्रभारी,
गाजियाबाद नगर निगम।

प्रतिलिपि:-

1. *जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।*
2. *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।*
3. *नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।*
4. *सम्बन्धित थानाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।*
5. *जोनल प्रभारी वसुन्धरा जोन को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित थानें से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करायें।*

(डा0 संजीव सिन्हा)
पार्किंग प्रभारी,
गाजियाबाद नगर निगम।

गाजियाबाद नगर [illegible]

प्रेषक

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद।

सेवा में

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
गाजियाबाद।

पत्रांकः— 1527 /पार्किंग/2019—20 दिनांक [illegible]

विषयः— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष वि[illegible] ओ.ए. संख्या—84/2018 शारिक अब्बास जैदी व अन्य बनाम उत्त[illegible] व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों का अ[illegible] सुनिश्चित करने हेतु हरित पटटी व सडक—पटरियों पर अवैध रू[illegible] संचालित पार्किंग—स्थलों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि इस कार्या[illegible] पत्रांकः-468/सम्पत्ति/2018-19 दिनांक 01.04.2019 एवं पत्रांकः-616/पार्किंग/[illegible] दिनांक 27.04.2019 (छायाप्रति संलग्न), जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, न[illegible] के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-84/2018 शारिक अब्बास जैदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदे[illegible] व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा कौशाम्बी क्षेत्र स्थित रेडिसन होटल के बाहर पार्किंग स्थल, [illegible] मॉल के बाहर पार्किंग स्थल, डाबर पार्किंग स्थल व यशोदा अस्पताल की पार्किंग स्थलों को [illegible] अस्पताल सहित अन्य क्षेत्रों में हरित पटटी/सडक पटरी पर अवैध रूप से संचालित 25 पा[illegible] स्थलों को बन्द कराते हुये अवैध वसूली करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु अनु[illegible] किया गया था। किन्तु आये दिन शिकायतें प्राप्त हो रही है कि वर्तमान में भी पूर्व में प्रेषित पत्र में [illegible] स्थानों यथा कौशाम्बी मैट्रो स्टेशन के बाहर, यशोदा अस्पताल कौशाम्बी के बाहर, एन्जिल मॉल [illegible] बाहर एवं कुछ अन्य स्थानों पर सहित अन्य स्थानों पर भी अवैध रूप से पार्किंग संचालित की जा [illegible]।

नगर निगम द्वारा दिनांक 10.07.2019 को 13 पार्किंग स्थलों हेतु सार्व... आयोजन किया गया, इस नीलाम में बुलन्दशहर रोड स्थित आर.टी.ओ. आफिस के ... पार्किंग स्थल, वैशाली स्थित आर.के. टॉवर के बाहर, नवयुग मार्किट पोस्ट आफिस के बाहर स्थित पार्किंग स्थल, रमते राम रोड स्थित मल्टीलेवल पार्किंग स्थल एवं नया बस अड्डा ... पार्किंग स्थल को खुली नीलामी में दिनांक 31.03.2020 तक की अवधि के लिये ठेके ... वसूल करने हेतु उपयुक्त बोली प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा बोली स्वीकार की गयी ...

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित पांच पार्किंग स्थलों एवं ... यशोदा अस्पताल के बाहर स्थित पार्किंग स्थल के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पार्किंग स्थलों को तत्काल बन्द कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्षों को निर्देशित करने का ..., कि किसी भी स्थल पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित पाये जाने पर अवैध वसूली करने ... के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जाये, जिससे माननीय ... हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेशों की अवहेलना/अवमानना न होने पाये।

भवदीय

(दिनेश चन्द्र)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम

26/7/19

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. पुलिस अधीक्षक (नगर) गाजियाबाद।
3. सम्बन्धित थानाध्यक्ष को तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. जोनल प्रभारी वसुन्धरा जोन, मोहन नगर जोन, कविनगर जोन, सिटी जोन एवं विजयनगर जोन को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित थाने से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित ...

(दिनेश चन्द्र)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम

ZA (City Zone) 26/7/19

Aditya 26/7/19 (K.N. Zone)

26/7/19. (C.O. Camp)

26-7-19 (C.S.P. Camp)

गाजियाबाद नगर निगम, गाजियाबाद।

पत्रांक:- 1722/ /पार्किंग/2018-19 दिनांक:- 12/03/19

सेवा में,
प्रभारी,
पुलिस चौकी,
डाबर, कौशाम्बी,
गाजियाबाद।

विषय:- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-84/2018 शारिक अब्बास जैदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-84/2018 शारिफ अब्बास जैदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में माननीय अधिकरण द्वारा कौशाम्बी क्षेत्र स्थित रेडिसन होटल के बाहर पार्किंग स्थल, एन्जिल मॉल के बाहर पार्किंग स्थल, डाबर चौक व यशोदा अस्पताल की पार्किंग को हटाये जाने के आदेश दिये गये है, जिसके क्रम में प्रभारी वसुन्धरा जोन, गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त स्थलों पर अवैध रूप से संचालित पार्किंग को बन्द करा दिया गया है। संज्ञान में आया है कि एन्जिल मॉल के बाहर व कौशाम्बी स्थित यशोदा अस्पताल के बाहर सड़क-पटरी/ग्रीन बैल्ट पर निजी व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से पार्किंग संचालित कर वसूली की जा रही है। इनके अतिरिक्त कौशाम्बी मैट्रो स्टेशन के बाहर स्थित पार्किंग को भी निरस्त करते हुये बन्द करा दिया गया है। किन्तु बन्द कराने के उपरान्त भी उक्त पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित कर वसूली की जा रही है जो कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली के आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में उपरोक्त वर्णित स्थलों पर अवैध रूप से संचालित की जा रही पार्किंग को तत्काल बन्द कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने का कष्ट करें।

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ।

12.3.19
अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम।

(मुहर: चौकी प्रभारी कौशाम्बी, गाजियाबाद)

उद्यान प्रभारी महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय अधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04.03.2020 को निर्णित/ Disposed off ओ.ए संख्या–598/2019 शारिक अब्बास जैदी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में उद्यान विभाग की आख्या निम्नवत है:–

01. कौशाम्बी क्षेत्र में उद्यान विभाग द्वारा किसी भी व्यक्ति/संस्था को ग्रीन बैल्ट में पार्किंग संचालन की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है।
02. कौशाम्बी क्षेत्र के निरीक्षण उपरान्त पाया गया कि यशोदा अस्पताल के सामने ग्रीन बैल्ट/सड़क किनारे मैट्रों पीलर के नीचे की भूमि पर स्कूटर व मोटर साईकिल आदि को पार्क किया जा रहा है, जिन्हें ग्रीन बैल्ट से हटवाकर भूमि पर लोहे की जाली से फैसिंग का कार्य करा दिया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आख्या मय जीयो टैग फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत है कृपया विधि विभाग को प्रत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु आग्रसारित करने का कष्ट करें।

19/4/24

19/4/24